

206



देवास

A. 1342-III/03

न्यायालय :- श्रीमान हक्कय रेव्हेन्यू बोर्ड ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

स्टाम्प अधिनियम , अपील क्रमांक /2003-2004

श्री महेन्द्र शर्मा, मन्  
कारा Bin 26803  
को उज्जैन न्यायालय 203

6/10  
26803

26/10/03-26/10  
For 3rd

1] श्रीमति शशीकला जोशी पति नोन्द्रकुमार जोशी  
उम्र 45 वर्ष जाति ब्राम्हण धंधा कृषि कृषक ग्राम  
पालवा तहसील बागली निवासी राजेन्द्र मार्ग  
सती नं.-4 सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

2] श्रीमति इन्दुबाला पति प्रमोद पाठक उम्र 35 वर्ष  
जाति ब्राम्हण धंधा कृषि कृषक ग्राम पालवा  
तहसील बागली जिला देवास निवासी राजस्व  
कॉलोनी तलाम म.प्र. ----- अपीलान्त/क्रेता  
विद्द

1] मध्यप्रदेश शासन द्वारा उप पंजीयक बागली  
जिला देवास म.प्र. ----- रेस्पॉडिट

2] मोहम्मदशाहीद पिता अब्दुलसईद निवासी बागली  
हाल मुकाम 10/1 आलापुरा इन्दीर मुतक - विक्रेता

अपील स्मृति पत्र अन्तर्गत धारा 47 क भारतीय मुद्रांक  
अधिनियम के अधीन  
माननीय अधिनस्थ न्यायालय अवर आयुक्त उज्जैन सम्भाग के  
अपील क्रमांक 294/99-2000 के अंतिम निर्णय दिनांक 27/5/2003 के विद्द.

माननीय महोदय,  
अपीलान्त की ओर से निम्नांकित अपील स्मृति पत्र रेस्पॉडिट  
के विद्द विशेष परीस्थिती मे सादर प्रस्तुत है :-

// अपील का संक्षिप्त विवरण //

यह कि, अपीलान्त के विद्द अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ  
स्टाम्प ने दिनांक 6/6/96 को धारा 47 क उपधारा-1 के तहत एक अवेव  
सुचना पत्र इस आशय का दिया कि, अपीलान्त क्रेता ने क्रय पत्र में कम मुद्रांकन  
होने से उप पंजीयक बागली ने मुल्य निर्धारण हेतु भेजा जिसमें कस्तोकेन विक्रय

206

129

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/1342/तीन/2003/देवाक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	फांफारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	<p>आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 20/08/2014 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रुचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरुचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p>(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	